



## दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2025-26/06/4004

दिनांक 19/जून/2025.

सेवा में,

प्रबन्धक,

सी0एम0 कालेज ऑफ एजुकेशन, कसया रोड, रुद्रापुर कुस्मही बाजार, गोरखपुर। (कोड-848)

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0- पाठ्यक्रम (100 सीट) विषयों/पाठ्यक्रमों की स्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धता/विस्तरण/2024-25/3854 दिनांक 25.07.2024 द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0- पाठ्यक्रम (100 सीट) विषयों/पाठ्यक्रमों में कतिपय शर्तों के अधीन महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2024 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र के अनुसार संदर्भित पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का परीक्षाफल 60 प्रतिशत से अधिक है तथा महाविद्यालय नकल में आरोपित नहीं है। यदि इसमें कोई त्रुटि/असत्यता पाई जाती है तो स्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

2- निरीक्षण मण्डल द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0- पाठ्यक्रम (100 सीट) विषयों/पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति की गई है। निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता/त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

3- माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15.06.2025 में प्रदान की गयी स्वीकृति एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय एवं संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0- पाठ्यक्रम (100 सीट) विषयों/पाठ्यक्रमों में दिनांक 01.07.2025 से स्थाई सम्बद्धता, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-18(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. रिट याचिका संख्या 81859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुगोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कर्मियों की पूर्ति से सम्बन्धित अतिरिक्त महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
6. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
7. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
8. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदामि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
10. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
11. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
12. महाविद्यालय की स्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
13. महाविद्यालय द्वारा ए.आई.एस.एच.ई. 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांक संख्या: सम्बद्धता/2025-26/..... तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
5. प्रभारी सचिव कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रभारी, कमेटी/वैद्य0 सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

F:\AFFILIATION DDUGU 888\Permanent Affiliation\Letter\PA 2023-26 - Master.docx

परमनेंट एफिलिएशन लॉन प्ररि ले